कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पीलीभीत।

पत्रांक:क0स0/अंग्रेजी माध्यम/प्रा0मान्यता/1047-77/2022-23 दिनांक:- 09/01/23

प्रबन्धक,
फ्यूचर इन्टरनेशनल स्कूल
औरय्या विकास क्षेत्र मरौरी पीलीभीत।

विषयः- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकारी नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) तथा नियमावली 2011 के अधीन विद्यालय के लिए(अनंतिम) स्थायी मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया8

आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देष से शासनादेश संख्या-89/अरसठ-3-2018-2041/2018 दिनांक: 11 जनवरी, 2019 के निर्देशानुसार गठित मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 30.09.2022 के निर्णयानुसार मै **फ्यूचर इन्टरनेशनल स्कूल औरय्या विकास क्षेत्र मरौरी पीलीभीत** को दिनांक:- 07.10.2022 से कक्षा 06 से 08 तक अंग्रेंजी माध्यम के लिए स्थायी मान्यता (एक वर्ष)प्रदान करने की संसूचना देता हुँ।

उपरोक्त की मंजूरी निम्नलिखित शर्तो को पूरा किए जाने के अध्यधीन है।:-

01- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 08 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता दिवक्षित नहीं है।

02- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (उपबन्ध-2) के उपबन्धों का पालन करेगें।

03- विद्यालय कक्षा 01 में (या यथास्थिति,नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पडोसके कमजोर वर्गो और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

04- पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

05- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगाऔर किसी बालक सा उसके माता पिता या सरंक्षक को किसी स्कींनिग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगी।

06- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश हेने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

(क) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

(ख) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।

(ग) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(घ) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकाथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।

(ड) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना है।

(च) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन या यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु या ओर कि अवद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताए नहीं है। पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताए अर्जित करेंगे।

For Excellent Educational Welfare Trust
Secretary

Tina Goel
Principal
Future International School

(छ) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।
(ज) अध्यापक स्वंय को किसी निजी अध्यापन कियाकलापें में नियोजित नहीं करेगा।
07– विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाइयकम का पालन करेंगा।
08– विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यलाय के मानकों और सनियमों को वनाए रखेंगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाए निम्नुसार है:–
विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल–
कुल निर्मित क्षेत्र–
कक्षाओं की संख्या–
प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह भांडागांर के लिए कक्ष–
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय–
पेयजल सुविधा–
मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई–
बाधारहित पहुच–
अध्यापन पठन सामग्री/कीडा खेलकुद उपस्करों/पुस्तकायल की उपलब्धता–
09– विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके वाहर विद्यालय के नाम से कोइ गैर मान्यता प्राप्त कक्षाए नहीं चलाई जाएगी।
10– विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11– विद्यालय की सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि कि अधीन गठित किसी लोक न्याय द्वारा चलाया जा रहा है।
12– स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13– विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड एकाउटेंड द्वारा सपरीक्ष की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेख विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14– आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोडं संख्यांकPIL092170178 है। कृपया इसे नोट कर ले, और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15– विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्ष निदेशक/जिला बेतिसक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित को ओर समुचि सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता हे, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियां को दूर करने के लिए जारी किए जाए।
16– सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17– विद्यालय या संस्था द्वारा प्रतिवर्ष विभाग द्वारा निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार यू–डायस से सम्बन्धित सूचनाएं/आंकड़े भरना अनिवार्य होगा।
18– शासनादेश दिनांक 11.01.2019 एवं 29.06.2020 के उल्लिखित समस्त निर्देशों तथा समय–समय पर निर्गत विभागीय निर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इस सम्बन्ध में यह भी आदेशित किया जाता है कि मान्यता पत्रावली के साथ प्रस्तुत पत्राजातों में भविष्य में कोई भी तथ्य गोपन/कूटरचना प्रकाश में आती है तो विद्यालय की मान्यता समाप्त करने के साथ ही विद्यालय प्रबन्धक के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी। जिसके लिए विद्यालय प्रबन्धनतन्त्र स्वंय उत्तरदायी होगा।

संलग्नकः–ऑनलाइन स्थायी मान्यता आदेश की प्रति।

For Excellent Educational Welfare Tru...
Secretary

Tina Goel
Principal
Future International School

(अमित कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
पीलीभीत।

पृ0सं0 / क0स0 / अंग्रेजी माध्यम / प्रा0मान्यता / /2022-23 तद्दिनांकः-
प्रतिलिपिःनिम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

01- शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 लखनऊ।
02- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0प्रयागराज।
03- सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक) बरेली मण्डल बरेली।
04- जिला समाज कल्याण अधिकारी,पीलीभीत
05- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, पीलीभीत।
06- खण्ड शिक्षा अधिकारी, मरौरी।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
पीलीभीत।

For Excellent Educational Welfare Trust
Secretary

Tina Goel
Principal
Future International School

Form No:9281

Office of the District Basic Education Officer

PILIBHIT

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that **FUTURE INTERNATIONAL SCHOOL,AURAIYA, NEAR MAIDANA, TANAKPUR ROAD, PILIBHIT** is permanently recognized for Upper Primary(class 6 to 8).The Recognition number alloted to FUTURE INTERNATIONAL SCHOOL is **PIL092170203**.The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE	**07-10-2022**(DD/MM/YYYY)
3. Recognition Type	**Old**
4.School Type	**Upper Primary School(6 to 8)**
5.Recognition No.	PIL092170203

DATE:- 07-10-2022

PLACE:- PILIBHIT

District Basic Education Officer

Digitally signed by amit kumar
Date: 2022.10.07 17:29:03
Reason: For Digital Signature
Location: PILIBHIT

For Excellent Educational Welfare Trust
Secretary

Tina Goel
Principal
Future International School

Note :This Certificate is digitally signed and downloaded copy from Portal www.prernaup.in

Signed using www.Signer.Digital WebLib

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पीलीभीत।

पत्रांकःक0स0 / अंग्रेजी माध्यम / प्रा0मान्यता /10464-70/ 2022-23 दिनांकः- 09/01/23

प्रबन्धक,
फ्यूचर इन्टरनेशनल स्कूल
औरय्या विकास क्षेत्र मरौरी पीलीभीत।

विषयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकारी नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) तथा नियमावली 2011 के अधीन विद्यालय के लिए(अनंतिम) स्थायी मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय / महोदया8

आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देष से शासनादेश संख्या–89/अरसठ-3-2018-2041/2018 दिनांकः 11 जनवरी, 2019 के निर्देशानुसार गठित मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 30.09.2022 के निर्णयानुसार मै **फ्यूचर इन्टरनेशनल स्कूल औरय्या विकास क्षेत्र मरौरी पीलीभीत** को दिनांकः– 26.09.2022 से कक्षा 01 से 05 तक अंग्रेजी माध्यम के लिए स्थायी मान्यता (एक वर्ष)प्रदान करने की संसूचना देता हुँ।
उपरोक्त की मंजूरी निम्नलिखित शर्तो को पूरा किए जाने के अध्यधीन है।:–

01– मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 08 के पश्चात मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता दिवक्षित नहीं है।

02– विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (उपबन्ध–2) के उपबन्धों का पालन करेगें।

03– विद्यालय कक्षा 01 में (या यथास्थिति,नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पडोसके कमजोर वर्गो और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

04– पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

05– सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगाऔर किसी बालक सा उसके माता पिता या सरंक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगी।

06– विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश हेने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

(क) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

(ख) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।

(ग) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(घ) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकाथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।

(ड) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना है।

(च) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन या यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु या ओर कि अवद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताए नहीं है। पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताए अर्जित करेंगे।

Tina Goel

For Excellent Educational Welfare Trust

Secretary

Principal
Future International School

(छ) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।
(ज) अध्यापक स्वंय को किसी निजी अध्यापन कियाकलापें में नियोजित नहीं करेगा।

07— विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठयचर्या के आधार पर पाइयकम का पालन करेंगा।

08— विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यलाय के मानकों और सनियमों को वनाए रखेंगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाए निम्नुसार है:—

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल—
कुल निर्मित क्षेत्र—
कक्षाओं की संख्या—
प्राध्यापक—सह—कार्यालय—सह भांडागार के लिए कक्ष—
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय—
पेयजल सुविधा—
मिड—डे—मील पकाने के लिए रसोई—
बाधारहित पहुच—
अध्यापन पठन सामग्री/कीडा खेलकुद उपस्करों/पुस्तकायल की उपलब्धता—

09— विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके वाहर विद्यालय के नाम से कोइ गैर मान्यता प्राप्त कक्षाए नहीं चलाई जाएगी।

10— विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11— विद्यालय की सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि कि अधीन गठित किसी लोक न्याय द्वारा चलाया जा रहा है।

12— स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13— विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड एकाउटेंड द्वारा सपरीक्ष की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेख विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14— आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड संख्यांकPIL092170178 है। कृपया इसे नोट कर लें, और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15— विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय—समय पर शिक्ष निदेशक/जिला बेतिसक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित को ओर समुचि सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता हे, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियां को दूर करने के लिए जारी किए जाए।

16— सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

17— विद्यालय या संस्था द्वारा प्रतिवर्ष विभाग द्वारा निर्धारित समय—सारिणी के अनुसार यू—डायस से सम्बन्धित सूचनाएं/आंकड़े भरना अनिवार्य होगा।

18— शासनादेश दिनांक 11.01.2019 एवं 29.06.2020 के उल्लिखित समस्त निर्देशों तथा समय—समय पर निर्गत विभागीय. निर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इस सम्बन्ध में यह भी आदेशित किया जाता है कि मान्यता पत्रावली के साथ प्रस्तुत पत्राजातों में भविष्य में कोई भी तथ्य गोपन/कूटरचना प्रकाश में आती है तो विद्यालय की मान्यता समाप्त करने के साथ ही विद्यालय प्रबन्धक के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी। जिसके लिए विद्यालय प्रबन्धनतन्त्र स्वंय उत्तरदायी होगा।

संलग्नकः—ऑनलाइन स्थायी मान्यता आदेश की प्रति।

Tina Goel

For Excellent Educational Welfare Trust
Secretary

Principal
Future International School

(अमित कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
पीलीभीत।

पृ0सं0 / क0स0 / अंग्रेजी माध्यम / प्रा0मान्यता / /2022–23 तद्दिनांकः–

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

01– शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 लखनऊ।
02– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0प्रयागराज।
03– सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक) बरेली मण्डल बरेली।
04– जिला समाज कल्याण अधिकारी,पीलीभीत
05– जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, पीलीभीत।
06– खण्ड शिक्षा अधिकारी, मरौरी।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
पीलीभीत।

For Excellent Educational Welfare Trust
Secretary

Tina Goel
Principal
Future International School

Form No:3487

Office of the District Basic Education Officer
PILIBHIT

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that **FUTURE INTERNATIONAL SCHOOL,AURAIYA, NEAR MAIDANA, TANAKPUR ROAD, PILIBHIT** is permanently recognized for Primary(class 1 to 5).The Recognition number alloted to FUTURE INTERNATIONAL SCHOOL is **PIL092170178.** The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE	**26-09-2022**(DD/MM/YYYY)
3. Recognition Type	**Old**
4.School Type	**Pre-Primary School and Primary School**
5.Recognition No.	PIL092170178

DATE:- 26-09-2022

PLACE:- PILIBHIT

District Basic Education Officer

Digitally signed by amit kumar
Date: 2022.09.26 18:53:32
Reason: For Digital Signature
Location: PILIBHIT

Tina Goel

For Excellent Educational Welfare Trust

Secretary

Principal
Future International School

Note :This Certificate is digitally signed and downloaded copy from Portal www.prernaup.in

Signed using www.Signer.Digital WebLib